

2025/368

सेवामें

209/2025

प्रशासन गणितो को अग्रिम-अभियान-2021

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
उपखण्ड जिला

विषय:- राजस्व रेकॉर्ड दुरस्ती बाबत अर्पित राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 ।

द्वारा:- पटवारी पटवार हल्का

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है -

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्डरलाईन करे)	की जाने-वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
1	2	3
पटवार हल्का राजस्व ग्राम खाता संख्या खसरा संख्या रकबा हेक्टेयर में	शिवजीराम पुत्र जयधाम पति	शुभोजीराम पुत्र श्रीधराम पति
33		
120		
9-1170		

संलग्न दस्तावेज (संलग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) -

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नक्शा
3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर मजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार सजरा / वंशावली
5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्या:-

हस्ताक्षर आवेदक

हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुशाशा (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपर्युक्त)

प्रार्थी का दस्तावेज (आधार आधार फोटो परचमपत्र, दाखिले कार्ड) में नाम शुभोजीराम
द्वारा और सही नाम शुभोजीराम है जबकि जमाबंदी
में शिवजीराम दर्ज है जो तुरिपूर्ण हो कर जायी
का जमाबंदी में शिवजीराम के द्वारा पर शुभोजीराम
तहसीलदार की टिप्पणी
द्वारा करवाये गये दस्तावेजों के माता निम्नानुसार है

हस्ताक्षर तहसीलदारों जिला डीडवाना-कुचामन

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ जिला राजसमंदी प्रवासा कुचामन

कमांक/राजस्व/धारा 136/2021/

दिनांक:-

आदेश

प्रार्थी निवासी के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू
अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड
में हुई अशुद्धि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के
सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार कुम्भलगढ़ राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

उपखण्ड अधिकारी

दिनांक:-

कमांक/राजस्व/धारा 136/2021/ PDU/03
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. तहसीलदार को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त आदेश की सुनिश्चित करावे।
2. हल्का पटवारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
3. प्रार्थी / आवेदक को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)